बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०–अ०सा०नि०/स्था०17–09/2018 2452 /पटना, दिनांकः– 12/07/22

कार्यालय आदेश

श्री अनिल कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मोहड़ा, गया संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, आजमनगर प्रखंड, कटिहार के विरूद्ध श्री दिनेश कुमार मणि, निम्न वर्गीय लिपिक द्वारा प्रखंड कार्यालय, मोहड़ा में अनुशासनिक मामलों के साथ–साथ 7,00,000/–(सात लाख) रूपये वित्तीय अनियमितता/अवैध निकासी/गबन के मामले में श्री अनिल कुमार की संलिप्तता एवं मिली–भगत पाये जाने के आरोप के आलोक में जिला पदाधिकारी, गया के पत्रांक–970/गो० दिनांक–04.02.2018 द्वारा समर्पित आरोप पत्र के आधार पर गठित आरोप प्रारूप पर निदेशालय के पत्रांक–1275 दिनांक–18.06.2018 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17(4) के तहत श्री कुमार से अभ्यावेदन की मांग की गयी। श्री अनिल कुमार द्वारा समर्पित अभ्यावेदन दिनांक–17.07.2018 के समीक्षोपरांत असंतोषजनक पाये जाने पर उसे अस्वीकृत करते हुए निदेशालय के का०आ० सं०–84 सहपठित ज्ञापांक–1452 दिनांक–26.06.2020 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत श्री अनिल कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच), गया को संचालन पदाधिकारी तथा अनुमंडल पदाधिकारी, नीमचक बथानी, गया को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच), गया–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–396/वि०जाँच दिनांक–28.12.2021 द्वारा श्री अनिल कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में समर्पित संचालन प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी ने निम्न मंतव्य दिया है :–

" आरोपी श्री अनिल कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मोहड़ा, गया संप्रति कार्यपालक दंडाधिकारी, बनमंखी, पूर्णियाँ के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में गठित आरोप संख्या–1 से आरोप संख्या–5 के आलोक में आरोपी का स्पष्टीकरण तथा प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, नीमचक बथानी के मंतव्य के सुनवाई के क्रम में पाया गया कि

आरोपी द्वारा सरकारी दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन नहीं किया गया , जिसके कारण सरकारी राशि का दुर्विनियोग एवं गबन किया गया।

अतः आरोपी के विरूद्ध लगाये गये सभी आरोप संख्या–1 से लेकर आरोप संख्या–5 तक प्रमाणित होता है।''

3. संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप संख्या–1 से लेकर आरोप संख्या–5 तक प्रमाणित होता है, के समर्पित संचालन प्रतिवेदन पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18(3) के तहत श्री अनिल कुमार से अभ्यावेदन की मांग की गयी। श्री अनिल कुमार से अबतक संचालन प्रतिवेदन पर अभ्यावेदन अप्राप्त है। इससे स्पष्ट है कि श्री अनिल कुमार इस मामले में अभ्यावेदन नहीं देना चाहते हैं।

4. अतः संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रमाणित आरोपों के लिए श्री अनिल कुमार पर संचयी प्रभाव के साथ एक वेतन वृद्धि रोकने का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया जाता है।

अतः श्री अनिल कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मोहड़ा, गया संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, आजमनगर प्रखंड, कटिहार पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 (vi) में किये गये प्रावधानों के तहत संचयी प्रभाव के साथ एक वेतन वृद्धि रोकने का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

ह०/–
(संजय कुमार पंसारी)
निदेशक

ज्ञापांकः– अ०सा०नि०/स्था०17–09/2018 1256 /पटना, दिनांक :– 13/07/22

प्रतिलिपिः– सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

2. जिला पदाधिकारी, गया/कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. जिला कोषागार पदाधिकारी, गया/कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, गया/कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5. प्रखंड विकास पदाधिकारी, आजमनगर प्रखंड, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
6. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
7. श्री अनिल कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मोहड़ा, गया संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, आजमनगर प्रखंड, कटिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

13/7/22
निदेशक